मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-अप्रैल, 2002 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 4 मार्च, 2002 (फाल्गुन 13, 1923)

समय 10.30 बजे दिन

मा. सभाध्यक्ष श्री जी.एल. मंडलोई
का निधन उल्लेख के
बैठक स्थगित

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पुछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. मुख्यमंत्री से संबंधित प्रश्नकाल.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री हजारीलाल रघुवंशी, संसदीय कार्य एवं राजस्व मंत्री :-

(क) मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 की धारा-9 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2387-एक-(2)-62-अड़तालीस-2001-(सं.का.), दिनांक 24 दिसम्बर, 2001;

(ख) मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 की धारा-9 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2389-एक-(2)-63-अड़तालीस-2001-(सं.का.), दिनांक 24 दिसम्बर, 2001; तथा

(ग) श्री जी. जगतपति, भूतपूर्व मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मार्च, 1990 से दिसम्बर, 1992 तक की अवधि में शहरी क्षेत्र में भूमि अन्तरणों के संबंध में गठित जांच समिति मध्यप्रदेश का जांच प्रतिवेदन क्रमांक न.नि. 10 नगर निगम, भोपाल, पटल पर रखेंगे.

(2) श्री नरेन्द्र नाहटा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल (म.प्र.) का 27 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा (वर्षान्त 31 मार्च 1998) पटल पर रखेंगे.

(3) श्री घनश्याम पाटीदार, राज्य मंत्री सामान्य प्रशासन, जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 (4) की अपेक्षानुसार-

(क) गरोठ (मंदसौर) न्यायिक जांच आयोग का प्रतिवेदन, 30 जुलाई, 2000 द्वारा श्री ए.एन.एस. श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद, शासन के संकल्प सहित,

(ख) मैहर (सतना) गोलीचालन जांच आयोग का प्रतिवेदन, 20 अक्टूबर, 2000 द्वारा श्री रामकृष्ण बेहार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना (शासन के संकल्प सहित),तथा

(ग) मुलताई (बैतूल) गोली-चालन जांच आयोग का प्रतिवेदन, 10 नवम्बर, 2000 द्वारा श्री पी.सी अग्रवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर, शासन के संकल्प सहित, पटल पर रखेंगे.

(4) श्रीमती जमुनादेवी, उप मुख्यमंत्री, निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का अधिनियम संख्यांक 1) के अध्याय 14, धारा-73 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार समाज कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 3-18-96-छब्बीस-2, दिनांक 7 नवम्बर, 1997, पटल पर रखेंगी.

(5) श्री सुभाष यादव, उप मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश सिंचाई अधिनियम, 1931 की धारा-92 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार जल संसाधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 18-1-91-मध्यम-इकतीस-1219, दिनांक 13 दिसम्बर 2001,पटल पर रखेंगे.

(6) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा-38 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वित्त निगम की 46 वीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2000-2001, पटल पर रखेंगे.

(7) श्री हुकुम सिंह कराड़ा, खनिज साधन मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मैगनीज ओर (इण्डिया) लिमिटेड की 39 वीं वार्षिक रिपोर्ट, वर्ष 2000-2001, पटल पर रखेंगे.

4. नवम्बर, 2001 सत्र निर्धारित अवधि से पूर्व स्थगित हो जाने के फलस्वरूप शेष दिनांकों के प्रश्नोत्तरों का संकलन तथा इसी सत्र के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना.

5. नियम 267-क के अधीन नवम्बर, 2001 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

6. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना.

7. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, सदस्य, बैतूल जिले में मध्यान्ह भोजन हेतु दिये जाने वाले गेहूं का वितरण न होने से उत्पन्न स्थिति की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री रसाल सिंह, सदस्य, म.प्र. गृह निर्माण मंडल द्वारा भोपाल नगर में शॉपिंग काम्प्लेक्स के निर्माण में अनियमितता किये जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

8. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 287, बुरहानपुर से निर्वाचित सदस्य, सुश्री मंजुश्री ठाकुर, को विधान सभा के फरवरी-अप्रैल, 2002 सत्र की दिनांक 1 मार्च से 9 अप्रैल, 2002 तक की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

9. सभापति तालिका की घोषणा.

10. शासकीय संकल्प

श्री हजारीलाल रघुवंशी, संसदीय कार्य मंत्री, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे:-

(1) "यह सदन मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 6 के साथ पठित धारा 9 की उपधारा (1) तथा (2) के खण्ड (क-1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश विधान मंडल यात्रा नियम, 1957 में किए गए संशोधनों का, जो संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2387-एक-(2)-62-अड़तालीस-2001-(सं.का.), दिनांक 24 दिसम्बर, 2001 द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 671, दिनांक 26 दिसम्बर, 2001 में प्रकाशित किए गए हैं, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के अनुसरण में अनुमोदन करता है."

(2) "यह सदन मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 5-क के साथ पठित धारा 9 की उपधारा (1) तथा (2) के खण्ड (क क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य (रेल द्वारा निःशुल्क अभिवहन) नियम, 1978 में किए गए संशोधनों का, जो संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2389-एक-(2)-63-अड़तालीस-2001-(सं.का.), दिनांक 24 दिसम्बर, 2001 द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 672, दिनांक 26 दिसम्बर, 2001 में प्रकाशित किए गए हैं, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के अनुसरण में अनुमोदन करता है."

11. राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री राजमणि पटेल, सदस्य, द्वारा दिनांक 25 फरवरी, 2002 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा ।

"राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया उसके लिये मध्यप्रदेश की विधान सभा के इस सत्र में समवेत् सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं."

डॉ.ए.के. पयासी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 3 मार्च, 2002